

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
अनुमति पत्र

रा.प्र.क्रं 202501092100020 अ-62 वर्ष 2024-25
डोंगरगढ़ दिनांक 28/02/2025

क्रमांक / 535 / प्रस्तु-1/अ.वि.अ./2025
/2025
प्रति

जितेन्द्र कुमार मंडावी उम्र.
पिता /पति पुसउ राम वर्ग गोंड
ग्राम बोंसपहाड़, प.ह.नं. 05, थाना बोरतलाव
तहसील लाल बहादुर नगर, जिला राजनांदगांव
विषय :- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति ।

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 03/01/2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ । राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 09/01/2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 16/01/2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है :-

ग्राम पीटेपान स्थित भूमि ख.नं. 71/1 रकबा 0.202 हे. में स्थित सागौन वृक्ष स.क्र. 1. गोलाई 195 सें.मी. सूखा खड़ा सागौन वृक्ष,

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि ग्राम पीटेपानी प.ह.नं. 05 तहसील लाल बहादुर नगर स्थित खसरा नंबर 71/1 में से स.क्र. 1. गोलाई 195 सें.मी. सूखा खड़ा सागौन वृक्ष, कुल 01 नग सागौन को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः उक्त वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

अतः वृक्षों की कटाई वन विभाग के द्वारा की जावेगी। छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रं. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुमति आवेदन दिनांक 03/01/2025 से एक कलेंडर वर्ष तक मान्य रहेगी ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
डोंगरगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 336 / प्रस्तु-1/अ.वि.अ./2025

डोंगरगढ़ दिनांक 28/02/2025

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अनुविभागीय अधिकारी (वन) डोंगरगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार डोंगरगढ़/ला.ब.नगर को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।
4. हल्का पटवारी पीटेपानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
डोंगरगढ़ (छ.ग.)